



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक-14.11.2022

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध गुटखा फैक्ट्री का खुलासा, गुटखा फैक्ट्री सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.11.2022 को थाना राठ पुलिस को मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि इस समय गुलाब नगर में संजय साहू के मकान के अंदर कुछ लोग चोरी से मशीन लगाकर सुपारी तम्बाकू का अवैध रूप से गुटखा बनाकर संचालन का काम कर रहे हैं और धोखा धड़ी करते हुये अलग - अलग नाम के रैपर लगाकर, बिक्री करते हुये अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी राठ, उपजिला मजिस्ट्रेट राठ पुलिस बल के साथ पहुंचे व खाद्य सुरक्षा इकाई राठ की टीम भी मौके पर आ गयी तथा संयुक्त रूप से नियमानुसार मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान संजय साहू के मकान में नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर प्रवेश करते हुये दबिश दी गई। जिसमें एक व्यक्ति संजय साहू निवासी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर मौके से भागने में सफल हो गया तथा 02 नफर अभियुक्तगण 1. सतेन्द्र कुमार साहू पुत्र अखलेश कुमार साहू निवासी ग्राम घुघसी थाना टहरका जिला निवाड़ी म0 प्र0 उम्र करीब 33 वर्ष 2. देवेन्द्र सिंह पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम कैथोखर थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0 प्र0 को गिरफ्तार किया गया तथा उसी मकान के अंदर कमरे से संचालित गुटखा फैक्ट्री मय बने अधबने गुटका तम्बाकू सामग्री बरामद की गई। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर 637/22 धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादसं व 59 खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम बनाम 1) सतेन्द्र कुमार साहू पुत्र अखलेश कुमार साहू निवासी ग्राम घुघसी थाना टहरका जिला निवाड़ी म0 प्र0 उम्र करीब 33 वर्ष 2) देवेन्द्र सिंह पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम कैथोखर थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0 प्र0 3) संजय साहू निवासी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्त संजय साहू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 637/22 धारा 419/420/467/468/471/272/273 IPC व 59 खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. सतेन्द्र कुमार साहू पुत्र अखलेश कुमार साहू निवासी ग्राम घुघसी थाना टहरका जिला निवाडी म0 प्र0
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र गम्भीर सिंह निवासी ग्राम कैथोखर थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर म0 प्र0

वांछित अभियुक्त का विवरण

1 संजय साहू निवासी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण- अनुमानित कीमत – 4,10,000/- (चार लाख दस हजार रुपये)

1. तम्बाकू मिश्रण 06 बोरों में
2. 04 बोरों में सुपारी तम्बाकू मिक्स
3. एक बोरे में अपमिश्रित तम्बाकू सागर ब्राण्ड जिसके अंदर कुल 300 पैकेट तम्बाकू
4. कुल 09 बण्डल तम्बाकू (जिसमें एक बड़े भूरे रंग के बोरे में , दो पैकेट सफेद बोरी में तथा 06 छोटे पैकेट सिल्वर पैकिंग के रूप में)
5. कुल 05 पैकेट रैपर 300 मार्का
6. एक पैकेट में पिपरमेण्ट
7. एक काले रंग की प्लास्टिक की बोतल में तरल पदार्थ जो कैमिकल जैसा प्रतीत हो रहा है
8. दो अदद इलैक्ट्रॉनिक गुटखा बनाने वाली मशीन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. उ0 नि0 श्री आशुतोष त्रिपाठी (प्रभारी कार्यभार) थाना राठ | 5. का0 योगेन्द्र यादव, थाना राठ |
| 2. उ0 नि0 राजेश कुमार साहू थाना राठ | 6. का0 दिलीप दुबे थाना राठ |
| 3. म0 उ0 नि0 कल्पना सिंह थाना राठ | 7. का0 जितेन्द्र कुमार, थाना राठ |
| 4. का0 सूर्यकान्त मौर्या, थाना राठ | 8. का0 अभिषेक नामदेव थाना राठ |
| | 9. का0 का0 योगेन्द्र यादव, थाना राठ |

